

## Detailed advertisement to be posted on the website

### REQUIRED

#### Technical Members for Consumer Grievance Redressal Forums of UPCL

UPCL is on look out for eminent persons for appointment as Technical Member in the Consumer Grievance Redressal Forums at Srinagar (Garhwal) and Almora constituted under section 42(5) of the Electricity Act, 2003

#### Eligibility Criteria and Other Conditions

1. Technical Member shall be a retired officer of any Distribution Licensee Company not below the rank of Superintending Engineer possessing degree in Electrical/ Mechanical / Electronics / Computer Engineering and having atleast 15 years experience in matters relating to distribution of electricity or a retired Professor of the Electrical Engineering Department of any Government Engineering College.
2. Members of the Forum shall hold office for a term of three years which may be extendable upto two years. The upper age limit for the appointment of the member shall be 65 years and can hold the office only upto the age of 68 years.
3. The full time Member would be entitled to a consolidated salary of Rs. 65,000/- per month with 5% annual increment.
4. The Member would be entitled to TA & DA, telephone at residence in accordance with rules applicable to Chief Engineer (Level-II) of UPCL.
5. Powers and Functions and other terms & conditions of the Member shall be governed by UERC (Guidelines for appointment of members and procedure to be followed by the forum for redressal of grievances of the consumers) Regulations, 2019 and its amendments as may be issued from time to time, which may be seen / downloaded from Commission's website [www.uerc.gov.in](http://www.uerc.gov.in)

There is no prescribed format for application and candidates are free to devise their own format covering and justifying their suitability as per requirement given herein. Interested persons may send their application giving full details of their qualifications, experience, E-mail address / Contact no. etc. for the above positions to the Managing Director, Uttarakhand Power Corporation Limited, VCV Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road, Dehradun. Persons must mention on top of the envelop "Application for the post of .....". The last date for receipt of the application is 20-09-2022.

**Managing Director**

## वेबसाइट पर अंकित किये जाने हेतु विस्तृत विज्ञापन

### आवश्यकता है

### यूपीसीएल के उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के लिये तकनीकी सदस्यों की

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42 (5) के अन्तर्गत यूपीसीएल द्वारा श्रीनगर (गढवाल) तथा अल्मोडा के लिये गठित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंचों में तकनीकी सदस्य की नियुक्ति के लिये योग्य व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

### पात्रता एवं अन्य शर्तें

1. तकनीकी सदस्य किसी वितरण अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी का सेवा निवृत्त अधिकारी होगा, जो अधीक्षण अभियन्ता से नीचे के पद का न हो व इलेक्ट्रिकल/ मैकेनिकल / इलैक्ट्रानिक्स / कम्प्यूटर इंजीनियरिंग का डिग्रीधारक हो तथा जिसके पास विद्युत वितरण से सम्बन्धित मामलों का कम से कम 15 वर्षों का अनुभव हो, अथवा किसी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग का सेवा निवृत्त प्रोफेसर हो।
2. सदस्य की नियुक्ति 3 वर्ष के लिये की जाती है जिसे 2 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। नियुक्ति के समय सदस्य की आयु अधिकतम 65 वर्ष होनी चाहिये तथा सदस्य अधिकतम 68 वर्ष की आयु तक सदस्य पद पर बना रह सकता है।
3. पूर्णकालिक सदस्यों को रु0 65,000 प्रति माह समेकित वेतन के रूप में देय है। इस वेतन में 5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि अनुमन्य है।
4. सदस्य को यूपीसीएल के मुख्य अभियन्ता (स्तर -II) के समान टी.ए., डी.ए. तथा आवास पर दूरभाष की सुविधा अनुमन्य होगी।
5. सदस्य के कार्य, शक्तियां तथा अन्य नियम व शर्तें उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायत निवारण हेतु सदस्यों की नियुक्ति तथा मंच द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सम्बन्धी मार्ग - दर्शिका) विनियम, 2019 तथा इसके समय-समय पर निर्गत संशोधन से नियंत्रित (govern) होगी। ये विनियम आयोग की वेबसाइट [www.uerc.gov.in](http://www.uerc.gov.in) पर उपलब्ध है।

आवेदन के लिये कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है तथा उम्मीदवार पद पर अपनी उपयुक्तता के अनुसार आवेदन का प्रारूप तैयार कर सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति अपनी योग्यता, अनुभव, ई-मेल पता/ फोन न0 आदि का विवरण अंकित करते हुये अपना आवेदन पत्र प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड, वीसीवी गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड, देहरादून को भेज सकते हैं। लिफाफे के ऊपर "उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में .....सदस्य के लिये आवेदन पत्र" लिखा होना चाहिये। आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 20-09-2022 है।

प्रबन्ध निदेशक